न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अनि गर्ग आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 246/2018

1. सतपाल
2. विजेश

पुत्र चिमनलाल जाति ओड साकिन लौंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— वादीगण

—:: बनाम ::—

1. चिमनलाल पुत्र बीरबलराम जाति ओड साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. माया पुत्री चिमनलाल पत्नि ईमीलाल जाति ओड साकिन चक 4 केएएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. सोमा पुत्री चिमनलाल पत्नि मेदराम जाति ओड साकिन 26 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हरजिन्द्र रमाणा अधिवक्ता
2. श्री नवीन जैन अधिवक्ता

——वादीगण

—— प्रतिवादीगण

—:: निर्णय ::—

दिनांक :– 08.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है।

वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दू सयुंक्त परिवार के कर्ता श्री बीरबलराम थे।

1. प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 1 पीबीएन के खाता सं. 14 के प.नं. 53/288 के किला नं. 6 ता 25 की कुल 5.060 हैक, नहरी म.गै.मु. कृषि भूमि मुताबिक नकल जमावन्दी सम्वंत 2072–75 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

2. वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे वादीगण के दादा श्री बीरबलराम . के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड थी । उनके देहान्त के पश्चात उक्त भूमि उनके वारिसान को विरासतन प्राप्त होकर राजस्व रिकार्ड मे ओद हुई । इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो चुका है । अर्सा दराज पूर्व वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य पंचायत के मोहत विरान व्यक्तियो ने प्रश्नगत कृषि भूमि का घरा घरू बंटवारा करवा दिया जिसमे वादीगण को 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त हुई और प्रतिवादी सं. 2–3 जो कि वादीगण की बहने है उन्होनें रोबरू बंटवारा अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण के हक मे त्याग कर दिया तथा उक्त पैतृक कृषि भूमि मे से कोई हक व हिस्सा प्राप्त नही करना स्वीकार किया और प्रतिवादी सं. 2–3 ने अपना हक व हिस्सा अपने विवाह मे बतौर सप्रेम भेंट, स्त्री धन, जेवरात, घरेलू सामान मे प्राप्त करना स्वीकार किया प्रतिवादी सं. 2–3 का वादीगण से हार्दिक स्नेह होने के कारण अपना हक व हिस्सा वादी के हक मे मौखिक

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर पीलीबंगा

Scanned by CamScanner

रूप से त्याग कर दिया तत्पश्चात प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 5. 060 हैक. मे से 2/3
हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त हुई ।
3. वादीगण का कब्जा घरू बंटवारा के समय से ही बिना किसी वाद विवाद के चला
आ रहा है लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख मे प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के
नाम से दर्ज होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है । इसलिए
वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के नाम वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित 5.060 हैक. में से 2/3
हिस्सा ब.हि.ब. की घोषणा करवाने के अधिकारी है।
4. भिन वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादीगण का प्रश्नगत पैतृक रकबा
मे 2/3 हिस्सा का अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करवा देवे तो प्रतिवादी सं. 1 कुछ दिन
तो टालमटोल करते रहे. परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ
मना कर दिया है. बस यही वाद हेतुक है।
5. प्रतिवादी सं. 4 भूधारक है इसलिये उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है ।
वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।
अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री
फरमाया जावे:-

(क). घोषित किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित चक नं. 1 पीबीएन के खाता
सं. 14 के प.नं. 53/288 के किला नं. 6 ता 25 की कुल 5.060 हैक. नहरी म.गै.मु. कृषि
भूमि के वादीगण 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है।
(ख). खर्चा मुकदमा दिलाया जावे ।
(ग). अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 07.01.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री नवीन जैन अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तरदीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण है दोनो पक्षों द्वारा पूर्व में किये गये पारिवारिक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नहीं होनें देने के लिये स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है, जो निम्न प्रकार से है :-

प्रतिवादी सं. 1 द्वितीय पक्ष के नाम की कृषि भूमि वाके चक नं. 1 पीबीएन के खाता
सं. 14 के प.नं. 53६288 के किला नं. 6 ता 25 की कुल 5.060 हैव. नहरी म.गै.मु. कृषि भूमि
के वादीगण । प्रथम पक्ष 2६3 हिस्सा ब.हि.ब. प्राप्त हुई तथा शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1
को प्राप्त हुई । यह कि द्वितीय पक्ष सं. 2-3 वादीगण की बहन जिसने रोबरू बंटवारा अपना
समस्त हक व हिस्सा वादीगण के हक मे त्याग कर दिया है । उक्त पैतृक कृषि भूमि मे से
कोई हक व हिस्सा प्राप्त नही करना स्वीकार किया ।

वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को
कोई उजर एतराज नही होगा । राजीनामा पक्षकारान ने अपनी पूर्ण होश हवास बिना किसी
नशा पता के बिना किसी दबाव व बहकाव के लिखवा दिया है।
उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन
किया गया कि वादपत्र में वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन
नहीं है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि
से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

अधिकारी एवं
हायक कलैक्टर
गोलूवाला

Scanned by CamScanner

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक नं. 1 पीबीएन के खाता सं. 14 के प.नं. 53/288 के किला नं. 6 ता 25 की कुल 5.060 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 सतपाल को 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 विजेश को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बदस्तूर रखा जाता है।

अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर पीलीबंगा

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।

Scanned by CamScanner

4. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन / सीलिंग अधिनियम से प्रभावित न हो।
6. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार / एकबा राज ना हो
7. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
8. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Scanned by CamScanner